

राजस्थान सरकार  
राजस्व & ग्रुप-6 & विभाग

प्रेषित:- समस्त जिला कलेक्टर,  
राजस्थान ।

क्रमांक:- प.6 & 13 & राज-6/99/8

जयपुर, दिनांक:- 14.5.99

-: परिपत्र :-

विषय :- जन अभियोग निराकरण, 1999

माह मई-जून, 1999 में महिलाओं में उपखण्ड अधिकारियों द्वारा जो भूमि आवंटन एवं नियामितकरण समितियां की बैठके आयोजित करने बाबत आपको परिपत्र भेजे गये है उसके संदर्भ में यह सुनिश्चित करें कि बैठके निश्चित रूप से पूरे जिले में आयोजित करली जावे । पूर्व में प्रशासनिक आदेशा द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि इन बैठकों में क्षेत्रीय विधायक महोदय की उपस्थिति अनिवार्य होगी किन्तु कई स्थानों से यह जानकारी मिली है कि इस पाबन्दी के कारण अनेक बैठके नहीं हो पाती है । अतः इसमें यह संशोधन किया जा रहा है कि बैठकों की सूचना क्षेत्रीय विधायक महोदय को पर्याप्त समय पूर्व आवश्यक रूप से की जावे और उन्हें सूचना पहुंचाना भी सुनिश्चित कर लिया जावे । इसके उपरान्त भी किन्ही कारणों से विधायक महोदय बैठके में नहीं पहुंच जायें तो बैठके स्थगित नहीं की जाये । यदि समिति की बैठकों की सूचना स्थानीय पत्रों में दी जा सके तो वह उपयोगी होगा ।

पूर्व में निर्दिष्टात इस व्यवस्था के अनुसार जिस पंचायत क्षेत्र में भूमि आवंटन अथवा नियामितकरण होना है उसके पंचायत मुख्यालय पर बैठके की जानी चाहिए । इसमें यह परिवर्तन किया जा रहा है कि बैठके पंचायत मुख्यालय अथवा गिरदावर सर्किल मुख्यालय पर रखी जा सकेगी ।

॥ संजय दीक्षित ॥  
विप्रेषित शासन सचिव, राजस्व

मनोज